Date – 25 May 2022

विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सम्मेलन

- विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुख्यालय जिनेवा में 22 से 28 मई, 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने अधिक लचीला वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे के निर्माण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- विश्व स्वास्थ्य सभा, 2022 का विषय 'शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति' है।
- भारत से मान्यता प्राप्त 'सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा)' को 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में "वैश्विक स्वास्थ्य, नेतृत्व और क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों को

Yojna IAS

आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता" के लिए ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

विश्व स्वास्थ्य सभा:

- विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी है।
- प्रत्येक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व अधिकतम तीन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है।
- इन प्रतिनिधियों का चयन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर योग्यतम व्यक्तियों में से किया जाता है क्योंकि वे सदस्य राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन का प्राथमिकता से प्रतिनिधित्व करते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य सभा नियमित रूप से वार्षिक सत्रों में और कभी-कभी विशेष सत्रों में मिलती है।

विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य:

- विश्व स्वास्थ्य सभा डब्ल्यूएचओ की नीतियों को निर्धारित करती है।
- यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है और बजट की समीक्षा और अनुमोदन करता है।
- यह डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र के बीच किसी भी समझौते के बारे में आर्थिक और सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है।

75वें सत्र में केंद्रीय मंत्रियों के संबोधन की मुख्य बातें:

- अधिक लचीली वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना के लिए टीकों और चिकित्सा कानून के लिए किसकी स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। बौद्धिक संपदा पहलुओं सहित टीकों और दवाओं तक समान पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए।

Yojna IAS

- लागत प्रभावी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षेत्रीय विनिर्माण क्षमता प्राथमिकता सूची में होनी चाहिए।
- WHO के अनुसार, भारत में COVID के कारण 7 मिलियन मौतें (आधिकारिक आंकड़े का 10 गुना) दर्ज की गई हैं। इसलिए डब्ल्यूएचओ के हालिया अभ्यास पर चिंता व्यक्त की गई, जिसने सीओवीआईडी -19 की तुलना में सभी कारणों से उच्च मृत्यु दर दर्ज की है।
- भारत ने डब्ल्यूएचओ से नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के माध्यम से भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) द्वारा प्रकाशित देश-विशिष्ट प्रामाणिक डेटा पर विचार करने का आग्रह किया।
- डेटा भविष्यवाणी के गणितीय मॉडल के उपयोग पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। नतीजतन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद (संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित) ने इस संबंध में डब्ल्यूएचओ के दृष्टिकोण की निंदा करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा):

- आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHRM) के प्रमुख घटकों में से एक है।
- वह 25-45 वर्ष के आयु वर्ग में एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो महिलाओं और बच्चों सहित ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य करती है।
- आमतौर पर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आशा होती है। हालाँकि, आदिवासी, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में काम के बोझ के आधार पर, इस मानदंड को "एक उम्मीद प्रति बस्ती" तक कम किया जा सकता है।

Yojna IAS

जिम्मेदारियां और भूमिकाएं:

- लोगों को पोषण, बुनियादी स्वच्छता और स्वच्छ प्रथाओं, स्वस्थ जीवन और काम करने की स्थिति आदि के बारे में जानकारी प्रदान करके स्वास्थ्य निर्धारकों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- यह मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है और लोगों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं का समय पर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- जन्म की तैयारी, सुरक्षित प्रसव के महत्व, स्तनपान, गर्भनिरोधक, टीकाकरण, बच्चे की देखभाल और प्रजनन पथ के संक्रमणों/यौन संचारित संक्रमणों (आरटीआई/एसटीआई) की रोकथाम पर महिलाओं को परामर्श देना।
- समुदाय को लामबंद करके गांव/उप-केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसवपूर्व जांच (एएनसी), प्रसवोत्तर जांच (पीएनसी), टीकाकरण, स्वच्छता और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाना।
- ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सहयोग से कार्य कर व्यापक स्वास्थ्य योजना का विकास करना।
- संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मामूली विकारों जैसे बुखार, दस्त और मामूली चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना।
- गर्भवती महिलाओं और उन बच्चों के लिए रखरखाव की व्यवस्था करें जिन्हें उपचार की आवश्यकता है या जिन्हें निकटतम स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में भर्ती होने की आवश्यकता है।
- उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अपने गांव में जन्म और मृत्यु और समुदाय में किसी भी बीमारी के प्रकोप/असामान्य स्वास्थ्य चिंताओं के बारे में सूचित करना।

Yojna IAS

Swadeep Kumar

अंतरराज्यीय परिषद

- हाल ही में, अंतर-राज्य परिषद (आईएससी) का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें प्रधान मंत्री के रूप में राष्ट्रपति और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और छह केंद्रीय मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
- दस केंद्रीय मंत्रियों को स्थायी आधार पर अंतरराज्यीय परिषद में आमंत्रित किया जाएगा।
- सरकार ने अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया है।
- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति के सदस्य हैं।

Yojna IAS

अंतरराज्यीय परिषद:

पृष्ठभूमि:

- केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति आर.एस. केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज की समीक्षा करना। सरकारिया की अध्यक्षता में वर्ष 1988 में एक आयोग का गठन किया गया था।
- सरकारिया आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित जनादेश के अनुसरण में परामर्श के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय

मंच के रूप में एक अंतर-राज्य परिषद की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण सिफारिश की।

परिचय:

- अंतर-राज्य परिषद को राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करने और सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों या केंद्र और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित के मामलों की जांच और चर्चा करने का अधिकार है।
- यह इन विषयों पर नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें भी करता है, राज्यों के सामान्य हित के मामलों पर चर्चा करता है, जिसे इसके राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।
- यह राज्यों के सामान्य हित के अन्य मामलों पर भी विचार करता है, जैसा कि परिषद के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- परिषद वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक कर सकती है।
- परिषद की एक स्थायी समिति भी है।

संगठन:

- **राष्ट्रपति**– प्रधानमंत्री
- **सदस्य**- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
- विधान सभा के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल (जम्मू और कश्मीर के मामले में राज्यपाल शासन) सदस्य।
- प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में छह कैबिनेट रैंक के मंत्री।

अंतर-राज्य परिषद के कार्य:

- देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार करना और नियमित बैठकें आयोजित करके परिषद और क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करना।

Yojna IAS

- क्षेत्रीय परिषदों और अंतर-राज्य परिषद द्वारा केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य संबंधों के सभी लंबित और उभरते मुद्दों पर विचार करने की सुविधा प्रदान करता है।
- उनके द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित करना।

अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति:

- यह परिषद के विचारार्थ मामलों के निरंतर परामर्श और प्रसंस्करण के लिए वर्ष 1996 में स्थापित किया गया था।

इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

(i) केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में
(ii) पांच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
(iii) अंतर-राज्य परिषद सचिवालय की सहायता के लिए नौ मुख्यमंत्रियों की एक परिषद।

- यह सचिवालय वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व भारत सरकार के एक सचिव द्वारा किया जाता है। वर्ष 2011 से यह क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है।

Yojna IAS

कार्य:

- स्थायी समिति के पास अंतर-राज्य परिषद में विचार करने से पहले केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित सभी मामलों को संसाधित करने, परिषद के विचार के लिए निरंतर परामर्श और प्रक्रियात्मक मामले होंगे।
- स्थायी समिति परिषद की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की भी निगरानी करती है और अध्यक्ष या परिषद द्वारा इसे संदर्भित किसी अन्य मामले पर विचार करती है।

अंतरराज्यीय संबंधों को बढ़ावा देने वाले अन्य निकाय:

क्षेत्रीय परिषद:

- क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक (संवैधानिक नहीं) निकाय हैं। ये संसद के एक अधिनियम, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए हैं।
- इस अधिनियम ने देश को पांच क्षेत्रों- उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की।
- इन क्षेत्रों को बनाते समय कई कारकों को ध्यान में रखा गया है, जिनमें शामिल हैं: देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी प्रणाली और संचार के साधन, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध, और आर्थिक विकास, सुरक्षा और कानून और व्यवस्था की आवश्यकता।
- उत्तर-पूर्वी परिषद: (i) असम, (ii) अरुणाचल प्रदेश, (iii) मणिपुर, (iv) त्रिपुरा, (v) मिजोरम, (vi) मेघालय और (vii) नागालैंड के उत्तर-पूर्वी राज्य शामिल हैं। क्षेत्रीय परिषदों में और उनकी विशिष्ट समस्याओं को उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित किया गया था।

अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य:

- संविधान का भाग XIII, अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और बातचीत से संबंधित है।

अंतरराज्यीय जल विवाद:

- संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करता है।

Yojna IAS

यह दो प्रावधान करता है:

- संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी बेसिन के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है।
- संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद या शिकायत पर सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी अन्य न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

Swadeep Kumar

WHO ने आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया

- हाल ही में 75वें 'विश्व स्वास्थ्य सभा' के आयोजन के दौरान भारत की 'आशा' कार्यकर्ताओं यानी 'मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा)' 'ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड'-2022 (ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड-2022) प्रदान किया गया है।

- इस पुरस्कार को प्राप्त करने वालों में आठ स्वयंसेवी पोलियो कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इन स्वयंसेवी पोलियो कार्यकर्ताओं की इस साल फरवरी में अफगानिस्तान के तखर और कुंदुज प्रांतों में हथियारबंद बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

आशा वर्कर्स (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के बारे में:

- आशा कार्यकर्ता समुदाय के भीतर काम कर रहे स्वयंसेवक हैं, जिन्हें सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को जानकारी प्रदान करने और मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- वे हाशिए के समुदायों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप-केंद्रों और जिला अस्पतालों जैसी सुविधाओं से जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं।
- इन 'सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों' की भूमिका पहली बार वर्ष 2005 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' (NRHM) के तहत स्थापित की गई थी।

पात्रता:

- आशा कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने के लिए स्वयंसेवकों के पास अच्छे शिष्टाचार, संचार और नेतृत्व कौशल होने चाहिए; इसके अलावा, कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में श्रमिकों को कक्षा 8 तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

देश में आशा कार्यकर्ता:

- इस समय देश भर में लगभग 4 लाख आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं।
- आशा कार्यकर्ताओं की सबसे अधिक संख्या उच्च जनसंख्या वाले राज्यों – उत्तर प्रदेश (63 लाख), बिहार (89,437) और मध्य प्रदेश (77,531) में है।

Yojna IAS

- गोवा देश का एकमात्र राज्य है जहां कोई आशा कार्यकर्ता नहीं है।

आशा कार्यकर्ता – भूमिकाएँ और कार्य:

- अपने निर्धारित क्षेत्रों में घर-घर उपलब्ध बुनियादी पोषण, स्वच्छता प्रथाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच, गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसव, और प्रसव के बाद स्तनपान और बच्चों के लिए पूरक पोषण के लिए प्रसूति रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करना।
- गर्भ निरोधकों और यौन संचारित संक्रमणों के बारे में महिलाओं को परामर्श देना।
- बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में टीबी रोगियों को दैनिक दवाएं उपलब्ध कराना।

आशा कार्यकर्ताओं को कितना भुगतान किया जाता है?

- चूंकि उन्हें "स्वयंसेवक" माना जाता है, इसलिए सरकारें उन्हें वेतन देने के लिए बाध्य नहीं हैं और अधिकांश राज्य इनके लिए कोई वेतन नहीं देते हैं।
- उनकी आय विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर निर्भर करती है। ये प्रोत्साहन 'आशा कार्यकर्ताओं' को संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने या बच्चे का टीकाकरण कराने जैसे कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन सभी कामों के लिए उन्हें महज 6,000 रुपये से 8,000 रुपये महीना ही मिलता है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS